

REVIEW STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF PARLIAMENT ALONG WITH THE ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 2018-19 IN RESPECT OF SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI

Organization Particulars

1. Name of the Institute	: Science and Engineering Research Board (SERB), New Delhi
2. Established in the year	: 2008
3. Number of scientists/faculty	: 16
4. Total number of regular employees	: 19

The Science and Engineering Research Board (SERB) is a statutory body under the Department of Science and Technology and established by an Act of Parliament for planning, promoting and funding of internationally competitive research in emerging areas; and identify major inter-disciplinary research areas, and individuals, groups or institutions and funding them for undertaking research.

Objectives:-

- Serves as a premier agency for planning, promoting and funding internationally competitive research in emerging areas.
- Identifies major inter-disciplinary research areas, and individuals, groups or institutions and funds them for research.
- Assists in setting up infrastructure and conducive ambience for scientific pursuit.
- Enables synergy between academic institutions, research and development laboratories and industry for promoting basic research in science and engineering.
- Evolves a management system to speedily provide research funds, including monitoring and evaluation, by adopting modern management practices.

The SERB structure comprises of both the Board and an Oversight Committee. The Board, chaired by Secretary DST comprises of 16 members, including Secretaries of the Government of India and CEO, Niti Aayog. An Oversight Committee constituted under the provisions of the SERB Act, advise and assist the Board. The Oversight Committee is Chaired by Dr. Vijay P. Bhatkar, Chancellor, Nalanda University with Secretary, DST as Vice Chair.

The Peer Review Committees: The Board has a robust peer review mechanism for taking funding decisions. A number of Committees have been constituted to evaluate the R&D proposals and other applications for seeking support under various schemes and programmes. The Major Committees are Programme Advisory Committee (PAC), Empowered Committee and Expert Committees/Task Force.

SERB Schemes and Programmes:

The Board since inception has introduced several schemes and programmes to cater to various segments of the scientific community and striving hard to achieve its mandate through various schemes and programs such as -

Support for Core Research & Innovations (SCRI)

- The flagship schemes of the Board viz. the Core Research Grant (CRG) accounting to almost one third of SERB's budget. Through this scheme the Board provide research support to individual or group of researchers. Out of 5214 grant applications, 606 proposals were recommended for support. 1280 proposals were supported in different disciplines and sub-disciplines during the year 2018-19.

- Mathematical Research Impact-Centric Support (MATRICS) scheme is a special initiative to provide fixed grant support in Mathematical Sciences, Theoretical Sciences and Quantitative Social Sciences for encouraging research in the stream. A total of 1853 proposals were received and the Peer Review Committee recommended 133 proposals for support.
- The High-Risk High Reward (HRHR) Scheme is aimed to support challenging existing hypothesis and provide 'out of box' solutions on important problems. A total of 223 proposals were received and only 1 was supported under the discipline of Earth & Atmospheric Sciences.
- The Industry Relevant R & D (IRRD) is aimed to support ideas that address a well-defined problem of industrial relevance. The objective is to utilize the expertise available in academic institutions and national laboratories to solve industry specific problems for the larger benefit of society. The funding is shared by industry and SERB on 50: 50 basis. 2 proposals were supported in partnership with Industry.
- The Intensification of Research in High Priority Areas (IRHPA) scheme supports proposals in high priority areas where multidisciplinary/multi-institutional expertise is required and which will put our nation on international science map in that specific discipline.
- Empowerment and Equity Opportunities for Excellence in Science (EMEQU) Scheme provides supports to active researchers belonging to Schedule Caste and Schedule Tribe category working in academic institutions/national labs or any other recognized R&D institutions in the field of Science and Engineering. A total of 1485 proposals were received, and 248 proposals were supported for funding.

Fostering the Young Researchers (FYR): Young researchers in the country are supported through the following schemes:

- The Early Career Research Award (ECRA) scheme provides start up research grants to young researchers, who are in their early career for pursuing exciting and innovative research. This is one time award and carries a research grant of Rs.50 lakhs for a period of 3 years. A total of 2897 proposals were received and 403 proposals were recommended for support. A total of 622 projects were supported in different disciplines and sub-disciplines during the year 2018-19.
- The National Post-Doctoral Fellowship (N-PDF) aimed to identify motivated young researchers and provide them support for doing research. The fellows are to work under mentor and the training provide them a platform to develop as an independent researcher. A total of 4490 grant application were received and 384 fellowships were recommended for award. A total of 570 fellowships were supported in different disciplines and sub-disciplines during the year 2018-19.
- Teacher Associateship for Research Excellence (TARE) Scheme, aims to facilitate mobility of faculty members working in a regular capacity to carryout research work in an established public funded Institutions. 959 applications were received, out of which 152 proposals were recommended for support. A total of 126 sanctions were issued during the year 2018-19.

Partnership Programme- National and International:

- Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT) is a programme piloted by the Ministry of Human Resource Development (MHRD). SERB/DST, in partnership with MHRD on equal cost sharing, supports target - oriented projects. Out of 2145 (IMPRINT – II A&B) proposals, 118 have finally been sanctioned in the year 2018-19. An announcement on IMPRINT -IIC.1 was made for inviting preliminary proposals in December 2018, 499 proposals were received and after first

screening 144 detailed proposals were received. The Uchhatar Avishkar Yojana (UAY) is another Scheme in operation in partnership with MHRD.

- Prime Minister's Fellowship Programme for Doctoral Research - It is a Public-Private Partnership (PPP) between SERB and the Confederation of Indian Industry (CII). 37 Fellowships were awarded in the reporting period. In addition, 86 fellows are pursuing research under the scheme.
- Visiting Advanced Joint Research Faculty (VAJRA) Scheme aims to tap the expertise of Overseas Faculty/scientists including Non-resident Indians (NRIs) & OCIs. It offers adjunct / visiting faculty positions to overseas scientists/faculty/R&D professional to undertake high quality collaborative research in public funded academic and research Institutions in India. During the reporting period 8 accomplished scientists have been offered VAJRA Facultyship. From the earlier batch, 8 scientists had made their collaborative research visits.
- Overseas Doctoral Fellowship - SERB has signed MoUs with various overseas universities and giving opportunities to Indian students to undertake doctoral research in specific overseas institutions. 13 students have been awarded the fellowship in the year 2018-19.
- Overseas Visiting Doctoral Fellowship - SERB had signed MoU with some of the overseas universities for providing opportunity to Ph.D. students to gain exposure, training and access to top class research facilities in academia and labs across the world and build long-term R&D linkages and collaborations with accomplished scientists and technologists from around the world. 40 researchers have been selected for the fellowship to pursue their short-term doctoral research in 24 different countries around the world under renowned guides of various Institutions/Universities. Under the SERB-Purdue University OVDF programme, 25 students were selected. Under the SERB-UAlberta OVDF scheme, 10 students were selected.
- Newton - Bhabha International Fellowships - The Royal Society of the United Kingdom and SERB signed a MoU to encourage and support increased research capacity in the area of research and innovation. 15 researchers have been offered the fellowship in the reporting period.

Award & Recognitions:

- SERB offers various Awards and Fellowships to exceptionally distinguished individuals through its schemes namely J.C. Bose Fellowship(59), Ramanujan Fellowship(46), SERB Distinguished Fellowship (11), Year of Science Chair Fellowship (YoSCP) (2), SERB Distinguished Investigator Award (SERB-DIA) (12) SERB Women Excellence Award (8), Abdul Kalam Technology Innovation National Fellow (AKTIN) (8). (In bracket the number of Fellowships/awards supported are shown)

Assistance to Professional Bodies & Seminars/Symposia:

- In reporting period, 6385 applications were received from Indian researchers to seek support for attending Conferences /Workshops held abroad under the International Travel Support (ITS) Scheme. 1937 applications were recommended for financial support to present their research findings.
- In the reporting period, 1547 applications under seminar/symposia were received for partial financial support from institutions/organisations across the country in various fields of Science and Technology, out of which 464 applications in different subjects/disciplines were recommended for support. Besides, partial financial support was extended to fourteen (14) Professional Bodies / Institutes / Societies for publication of Journals.

Administration:

- Implementation of Official Language - Science & Engineering Research Board (SERB), since its inception has been implementing the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
- Audited Annual Statement of Accounts - As per the provisions laid down in SERB Act, 2008, the Annual Accounts of the SERB were got audited by a team of Auditors nominated by C&AG. The Board incurred an expenditure of Rs.997.82 crores during the Financial Year 2018-19.
- Vigilance Awareness -Vigilance Awareness Week was observed by SERB from 29th October to 3rd November 2018 with the theme "Eradicate Corruption - Build a New India".
- Right to Information Act - The provisions of RTI Act, 2005 are being followed and requisite information is provided to the Applicants under the RTI Act.
- Internal Compliance Committee (ICC) of SERB was constituted in the year 2017. The Committee meets every quarterly and discussion on the issues are held.

The Board (SERB), since its operationalization in 2011 is instrumental in building up substantial research infrastructure in academic and research institutions and creating environment for scientific pursuit in the country. As the premier national research funding agency, it raise the quality and footprint of Indian science and engineering to the highest global levels in an accelerated mode, through calibrated, competitive support of research and development. The Board through the robust peer review mechanism for taking funding decisions has been striving to achieve its missions and goals. SERB will be able to make a distinct impact on the future landscape of Indian Science and R&D during the years to follow.

5. **Objective Achieved and Future Target:** SERB continues to strive hard to realize its objectives and to expand the research base in the country without compromising the quality of research. SERB will intensify the research activities by supporting researcher through the research programme such as Intensification of Research in High Priority Areas (Immediate calls in areas such as Electron microscopy of protein structures, 3 D bioprinting, Organic electronic devices for MedTech applications, Drug discovery for neglected diseases, Emergent properties of Nanoscale Matter, Nuclear Medicine); Scientific and Useful Profound Research Advancement (SUPRA) (For undertaking breakthrough research); Technology Translation Award (TETRA) (For enhancing TRL of SERB projects) and Fund for Industrial Research Engagement (FIRE) (Partnership programmes with Industry for undertaking industry relevant research) and Exponential Technologies.
6. **Auditor's Report:** As per Annual Report of SERB, New Delhi no serious irregularities appears to be observed by the Auditor while auditing the annual accounts.

AUTHENTICATED


(Dr. HARSH VARDHAN)

Minister of Science & Technology and Earth Sciences

(DR. HARSH VARDHAN)
MINISTER FOR

SCIENCE & TECHNOLOGY AND EARTH SCIENCES
Govt. of India,
New Delhi

**COMPREHENSIVE DELAY STATEMENT EXPLAINING THE REASONS OF DELAY
IN LAYING THE ANNUAL REPORT AND AUDITED STATEMENT OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR 2018-19 OF THE SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH
BOARD (SERB), NEW DELHI, ON THE TABLE OF BOTH THE HOUSES OF
PARLIAMENT.**

The Annual Report along with the Audited Statement of Accounts for the year 2018-19 in respect of the SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI, which was required to be laid on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha during the Winter Session of 2019-2020, could not be laid within the stipulated date despite all out efforts made by the Board and this Department. The aforesaid papers are now being laid on the Table of both the Houses of Parliament during the Monsoon Session, 2020.

2. The delay in laying the Reports, which was due to circumstances beyond the control of this Department, is sincerely regretted.



(DR. HARSH VARDHAN)
Minister for Science & Technology and Earth Sciences

(DR. HARSH VARDHAN)
MINISTER FOR
SCIENCE & TECHNOLOGY AND EARTH SCIENCES
Govt. of India,
New Delhi

The reasons for delay in laying of the Annual Report and Audited Accounts of the Board for the Financial Year 2018-19

S.No	Particulars	Actual Position
(a)	The date on which Board approached the Audit Authorities to appoint the auditors for auditing the accounts and date of their appointment	28.06.2019 12.07.2019
(b)	The date of compilation of Annual Accounts of Board	27.06.2019
(c)	The date on which the Annual Accounts were submitted to Auditors for auditing	12.07.2019
(d)	The date and duration for auditing of the Annual Accounts of Board by Auditors	12.07.2019 - 05.08.2019
(e)	The date of queries raised by Auditors during auditing of Annual Accounts	12.07.2019 - 05.08.2019
(f)	The date on which the replies to the audit queries was furnished to the Auditors	12.07.2019 - 05.08.2019
(g)	The date on which draft Audit Report was issued by Audit Authorities	05.09.2019
(h)	The date on which the Final Audit Report received by Board.	16.12.2019
(i)	The date of finalization of Annual Report.	04.11.2019
(j)	The date on which documents were got approved from the Competent Authority	20.12.2019
(k)	The date on which documents were taken up for translation and the time taken for completing the task.	18.11.2019/ approx.15 days
	Date of receiving printed copies/corrected copies	20.12.2019
(l)	The date on which the documents were sent to the Ministry for being laid in House	22.01.2020
(m)	The date of laying of the documents on the Table of the House.	Lok Sabha - 22.09.2020 Rajya Sabha - 21.09.2020

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली के संबंध में, वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों सहित, संसद के पटल पर रखा जाने वाला समीक्षा विवरण।

संगठन के ब्यौरे

1. संस्थान का नाम	:	विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली
2. स्थापना वर्ष	:	2008
3. वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों की संख्या	:	16
4. नियमित कार्मिकों की कुल संख्या	:	19

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है जो उभरते क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अनुसंधान की योजना बनाने, संवर्धन करने और निधीयन करने के लिए और प्रमुख अन्तर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों तथा अनुसंधान करने के लिए व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थानों की पहचान करने और उन्हें धनराशि मुहैया कराने का कार्य करता है।

उद्देश्य :-

- उभरते क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान की योजना तैयार करने, संवर्धन और निधीयन करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- प्रमुख अन्तर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थानों की पहचान करना तथा उन्हें अनुसंधान करने के लिए निधि प्रदान करना।
- वैज्ञानिक खोज के लिए अवसरचना और प्रेरक वातावरण तैयार करने में सहायता देना।
- विज्ञान और इंजीनियरी में मूल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- अनुसंधान के लिए शीघ्र निधि मुहैया कराने हेतु एक प्रबन्धन प्रणाली विकसित करना, जिसमें आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना भी शामिल है।

एसईआरबी की अवसरचना में बोर्ड और एक निरीक्षण समिति, दोनों शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव, डीएसटी हैं और भारत सरकार के सचिवों और सीईओ, नीति आयोग सहित इसके 16 सदस्य हैं। एसईआरबी के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक निरीक्षण समिति बोर्ड को परामर्श एवं सहायता प्रदान करती है। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय पी. भाटकर, कुलाधिपति, नालंदा विश्वविद्यालय हैं और सचिव, डीएसटी इसके उपाध्यक्ष हैं।

अभिजात समीक्षा समितियां : निधीयन संबंधी निर्णय लेने के लिए बोर्ड की एक सुदृढ़ अभिजात समीक्षा क्रियाविधि है। विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आर एंड डी प्रस्तावों और अन्य आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक समितियां गठित की गई हैं। प्रमुख समितियां हैं - कार्यक्रम सलाहकारी समिति (पीएसी), अधिकार प्राप्त समिति, विशेषज्ञ समितियां/कार्य बल आदि।

एसईआरबी की स्कीमों और कार्यक्रम :

बोर्ड ने अपने अस्तित्व में आने से अनेक स्कीमों / कार्यक्रमों की शुरुआत की है ताकि वैज्ञानिक समुदाय के विभिन्न वर्गों को वित्त पोषित किया जा सके और विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों द्वारा अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए बोर्ड भरसक प्रयास कर रहा है। ये स्कीम और कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

मूल अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए सहायता (एससीआरआई)

- बोर्ड की अग्रणी स्कीम अर्थात् - मूल अनुसंधान अनुदान (सीआरजी) है, जिसका बजट एसईआरबी के कुल बजट का लगभग एक तिहाई है। इस स्कीम के माध्यम से बोर्ड, व्यक्तियों अथवा अनुसंधानकर्ताओं के समूह को अनुसंधान सहायता मुहैया कराता है। सहायता के लिए 5214 अनुदान आवेदनों में से 606 प्रस्तावों की सहायता की संस्तुति की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न विषयों और उप-विषयों में 1280 प्रस्तावों को सहायता दी गई।

- गणितीय अनुसंधान प्रभाव कोन्द्रित सहायता (भेट्रिक्स) स्कीम एक विशेष शुरुआत है जो गणितीय विज्ञानों, सैद्धांतिक विज्ञानों और मात्रात्मक सामाजिक विज्ञानों के विषय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित अनुदान सहायता मुहैया कराती है। कुल 1853 प्रस्ताव प्राप्त हुए और अभिजात सभिक्षा समिति द्वारा 133 प्रस्तावों की संस्तुति की गई।
- अधिक जोखिम अधिक पुरस्कार (एचआरएचआर) स्कीम का उद्देश्य चुनौती भरी मौजूदा परिकल्पना को सहायता देना है और महत्वपूर्ण समस्याओं पर 'आउट ऑफ बॉक्स' सहायता प्रदान करना है। कुल 223 प्रस्ताव प्राप्त हुए और पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञानों के विषय में केवल 1 प्रस्ताव को सहायता दी गई।
- उद्योग संगत अनुसंधान और विकास (आईआरआरडी) का उद्देश्य ऐसे विचारों को सहायता देना है जो औद्योगिक संगतता की सुपरिभाषित समस्या को दूर करते हैं। इसका उद्देश्य समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए उद्योग विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मौजूद विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। इस निधीयन में उद्योग और एसईआरबी की भागीदारी 50:50 के आधार पर है। उद्योग के साथ भागीदारी में 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
- उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण (आईआरएचपीए) स्कीम उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में उन प्रस्तावों को सहायता देती है, जिनमें बहुविषयी/बहु सांस्थानिक विशेषज्ञता अपेक्षित होती है और जिससे उस विषय विशेष में अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान मानचित्र में हमारे देश को स्थापित किया जा सके।
- विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और साम्यता के अवसर (ईएमईक्यू) स्कीम शैक्षिक संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में किसी अन्य मान्यता प्राप्त आरएंडडी संस्थाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सक्रिय अनुसंधानकर्ताओं को सहायता प्रदान करती है। कुल 1485 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 248 प्रस्तावों को निधीयन हेतु सहायता दी गई।

युवा अनुसंधानकर्ताओं को वित्तपोषण (एफवाईआर) : देश के युवा अनुसंधानकर्ताओं को निम्नलिखित स्कीमों द्वारा सहायता दी गई है :

- आरंभिक कैरियर अनुसंधान अवार्ड (ईसीआरए) ऐसे युवा अनुसंधानकर्ताओं को, जो रोमांचक और नवोन्मेषी अनुसंधान करने के लिए अपने आरंभिक कैरियर में हैं, स्टार्ट-अप अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है, यह 3 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाने वाला ₹50 लाख का अनुसंधान अनुदान के रूप में एक मुश्त पुरस्कार है। कुल 2897 प्रस्ताव प्राप्त हुए और 403 अध्येतावृत्ति की सहायता हेतु संस्तुति की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न विषयों और उपविषयों में कुल 622 प्रस्तावों को सहायता प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (एन-पीडीएफ) का उद्देश्य प्रेरित युवा अनुसंधानकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें अनुसंधान कार्य के लिए सहायता मुहैया कराना है। इन अध्येताओं को एक मैन्टर के अधीन कार्य करना होता है और यह प्रशिक्षण उन्हें एक स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता के रूप में तैयार करता है। पुरस्कार के लिए कुल 4490 अनुदान प्रस्ताव प्राप्त हुए और 384 अध्येतावृत्ति की सहायता हेतु संस्तुति की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न विषयों और उप-विषयों में कुल 570 प्रस्तावों को सहायता दी गई।
- अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अध्यापक एसोसिएटशिप (टीएआरई) स्कीम का उद्देश्य नियमित पदों पर कार्यरत संकाय सदस्यों की गतिशीलता को सुकर बनाना है ताकि वे प्रतिष्ठित सार्वजनिक निधीयत संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर सकें। 959 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 152 प्रस्तावों की सहायता हेतु संस्तुति की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 126 स्वीकृतियां जारी की गई।

भागीदारी कार्यक्रम - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय :

- प्रभावकारी अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी (इंफ्रिंट) कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। एसईआरबी/डीएसटी, एमएचआरडी के साथ बराबर की लागत भागीदारी पर लक्ष्योन्मुखी परियोजनाओं को सहायता देता है। वर्ष 2018-19 में (इंफ्रिंट - II ए और बी) के 2145 प्रस्तावों में से, 118 को अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई। इंफ्रिंट-II सी.1 के बारे में दिसम्बर, 2018 में प्रारंभिक प्रस्ताव आमंत्रण के लिए घोषणा की गई थी,

499 प्रस्ताव प्राप्त हुए और प्रथम चरन्ती के बाद 1441 विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए। उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई), एमएचआरडी के साथ भागीदारी में चलाई जा रही एक अन्य स्कीम है।

- प्रधानमंत्री डॉक्टरल अनुसंधान अध्येतावृत्ति कार्यक्रम - यह एसईआरबी और भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के बीच एक सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पीपीपी) है। रिपोर्टधीन अवधि में 37 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत, 86 अध्येता अनुसंधान कर रहे हैं।
- विजिटिंग उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय (वज) स्कीम का उद्देश्य समुद्रपार के वैज्ञानिकों, जिसमें अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) और समुद्रपार के भारतीय शामिल हैं, की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। यह ओवरसीज वैज्ञानिकों/संकाय/आर एंड डी व्यवसायियों को भारत में सार्वजनिक निधीयत शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता का सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए सहायक/विजिटिंग संकाय पदों की पेशकश करती है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, 8 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 'वज' संकाय पद पेश किया गया है। पिछले बच्चों के 8 वैज्ञानिकों ने अपने सहयोगी अनुसंधान दौरे किए।
- ओवरसीज डॉक्टरल अध्येतावृत्ति एसईआरबी ने विभिन्न ओवरसीज विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय छात्रों को विशिष्ट ओवरसीज संस्थाओं में डॉक्टरल अनुसंधान करने के अवसर प्रदान किए हैं। वर्ष 2018-19 में, 13 छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है।
- ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल अध्येतावृत्ति - एसईआरबी ने पीएचडी के छात्रों को स्पष्टीकरण, प्रशिक्षण और पहुँच विश्व भर में अकादमियों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान की सुविधाओं तक पहुँच के अवसर प्रदान करने और पूरे विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ दीर्घकालिक आरएंडडी संबंध और सहयोग स्थापित करने हेतु कुछेक ओवरसीज के विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के प्रतिष्ठित गाइडों के अधीन विश्व के 24 विभिन्न देशों में अल्पकालिक डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए 40 अनुसंधानकर्ताओं को अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया है। एसईआरबी-पुर्दु विश्वविद्यालय ओवीडीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत 25 छात्रों का चयन किया गया। एसईआरबी-यू अल्बर्ट ओवीडीएफ स्कीम के अंतर्गत 10 छात्रों का चयन किया गया।
- न्यूटन-भाभा अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां - दि रॉयल सोसाइटी ऑफ दि यूनाइटेड किंगडम और एसईआरबी ने अनुसंधान और नवोन्मेष के क्षेत्र में संवर्धित अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्टधीन अवधि में 15 अनुसंधानकर्ताओं को यह अध्येतावृत्ति प्रदान की गई।

अवार्ड और अध्येतावृत्तियां :

- एसईआरबी, आपवादिक रूप से विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी स्कीमों के माध्यम से विभिन्न अवार्ड और अध्येतावृत्तियां प्रदान करती है जैसे जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति (59), रामानुजन अध्येतावृत्ति (46), एसईआरबी विशिष्ट अध्येतावृत्ति (11), विज्ञान अध्यक्षा अध्येतावृत्ति वर्ष (वाईओएससीपी) (2), एसईआरबी विशिष्ट अन्वेषणकर्ता अवार्ड (एसईआरबी-डीआईए) (12), एसईआरबी महिला उत्कृष्टता अध्येतावृत्ति (8), राष्ट्रीय अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी नवोन्मेष अध्येता (एकेटीआईएन) (8) आदि। (कोष्ठक में प्रदत्त अध्येतावृत्तियों/अवार्ड की संख्या दर्शाई गई है)

व्यावसायिक निकायों और सेमिनारों/संगोष्ठियों को सहायता :

- रिपोर्टिंग अवधि में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहायता (आईटीएस) स्कीम के अंतर्गत सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेने के लिए 6385 आवेदन प्राप्त हुए। 1937 आवेदनों को वित्तीय सहायता के लिए संस्तुति हुई।
- रिपोर्टिंग अवधि में सेमिनार/संगोष्ठी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में देश भर से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 1547 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 464 आवेदनों को विभिन्न विषयों/उपविषयों में सहायता के लिए संस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त चौदह (14) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों को जर्नल प्रकाशित कराने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रशासन :

- राजभाषा कार्यान्वयन विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), अपने अस्तित्व में आने से ही, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करता आ रहा है।
- वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा विवरण - एसईआरबी अधिनियम, 2008 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार, एसईआरबी के वार्षिक लेखों को सीएंडएजी द्वारा नामित लेखा परीक्षकों की एक टीम द्वारा लेखा-परीक्षित कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड ने ₹997.82 करोड़ का व्यय किया।
- सतर्कता जागरूकता - एसईआरबी द्वारा 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2018 तक "भ्रष्टाचार हटाओ-नया भारत बनाओ" शीर्षक के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- सूचना का अधिकार अधिनियम - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का पालन किया जा रहा है और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदकों को अपेक्षित जानकारी प्रदान की जाती है।
- एसईआरबी की आंतरिक अनुपालना समिति (आईसीसी) वर्ष 2017 में समिति गठित की गई। प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक होती है और मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

बोर्ड (एसईआरबी), 2011 में अपने प्रचालन से शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में समृद्ध अनुसंधान अवसररचना का निर्माण करने और देश में वैज्ञानिक खोज के लिए वातावरण का सृजन करने में सहायक रहा है। एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान निधीयन अभिकरण के रूप में, बोर्ड ने अनुसंधान और विकास में अंशान्वित प्रतिस्पर्धी सहायता के माध्यम से, त्वरित मोड में, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरी की गुणवत्ता और पदचिन्हों को उन्नत किया है। बोर्ड, निधीयन संबंधी निर्णय लेने के लिए सृष्टि अभिजात समीक्षा क्रियाविधि के द्वारा अपने मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। एसईआरबी, आने वाले वर्षों में, भारतीय विज्ञान और आरएंडडी के भावी परिदृश्य पर विशिष्ट प्रभाव डालने में समर्थ होगा।

5. प्राप्त उद्देश्य और भावी लक्ष्य: एसईआरबी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और अनुसंधान गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, देश में अनुसंधान के आधार का प्रसार करने के ठोस प्रयास करता रहा है। एसईआरबी, अपने अनुसंधान कार्यक्रमों, जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण (प्रोटीन संरचनाओं के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी, 3डी जैव मुद्रण, चिकित्सा तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपेक्षित रोगों के लिए औषध की खोज, नैनोस्केल पदार्थ के उभरते गुण, परमाणु औषधि जैसे क्षेत्रों में तत्काल शोध आमंत्रण); वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नयन (एसयूपीआरए)। (सफल गहन अनुसंधान करने के लिए); तकनीकी रूपांतरण अवार्ड (टीईटीआरए)(एसईआरबी की परियोजनाओं का टीआरएल बढ़ाने के लिए) तथा औद्योगिक अनुसंधान नियोजन के लिए निधि (एफआईआरई)(उद्योग संगत अनुसंधान करने के लिए उद्योगों के साथ भागीदारी कार्यक्रम) और घातांकी प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं को सहायता प्रदान करके अनुसंधान गतिविधियों में तीव्रता लाएगा।

6. लेखा परीक्षा की रिपोर्ट : विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं दिखाई देती है।

अधिप्रमाणित

(डॉ. हर्ष वर्धन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली

विलम्ब के व्यापक विवरण, जिसमें विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरणों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को स्पष्ट किया गया है।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली के संबंध में वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण, जिन्हें 2019-20 के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाना अपेक्षित था, को बोर्ड और इस विभाग द्वारा किए गए सभी सम्भव प्रयासों के बावजूद निर्धारित तारीख के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उपर्युक्त कागजात को, अब, मॉनसून सत्र, 2020 के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा रहा है।

2. रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब, जो परिस्थितिवश हुआ था, इस विभाग के नियंत्रण से बाहर था; और इसके लिए वास्तव में खेद है।

(डॉ. हर्ष वर्धन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2018-19 की बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक स्थिति
(क)	तारीख, जब बोर्ड ने लेखों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क किया और उनकी नियुक्ति की तारीख।	26.06.2019 12.07.2019
(ख)	बोर्ड के वार्षिक लेखों के संकलन की तारीख।	27.06.2019
(ग)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे दिए गए।	12.07.2019
(घ)	तारीख, और अवधि, जब लेखापरीक्षकों द्वारा बोर्ड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की गई।	12.07.2019 से 05.08.2019
(ङ)	लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए प्रश्नों की तारीख।	12.07.2019 से 05.08.2019
(च)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर भेजे गए।	12.07.2019 से 05.08.2019
(छ)	तारीख, जब लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई।	05.09.2019
(ज)	तारीख, जब बोर्ड को अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई।	16.12.2019
(झ)	वार्षिक रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिए जाने की तारीख।	04.11.2019
(ञ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए गए।	20.12.2019
(ट)	तारीख, जब ये दस्तावेज अनुवाद और मुद्रण के लिए दिए गए और इस कार्य को पूरा करने में लगा समय।	18.11.2019/ लगभग 15 दिन
	मुद्रित प्रतियां/ संशोधित प्रतियां प्राप्त होने की तारीख	20.12.2019
(ठ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन में रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे गए।	22.01.2020
(ड)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए।	22.09.2020 लोकसभा में 21.09.2020 राज्यसभा में